रजिस्ट्री सं.—डी(डीएन)—128/89 REGISTERED No. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 10, 1989 (ज्येष्ठ 20, 1911)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10, 1989 (JYAISTHA 20, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	461
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	565
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	65
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	561
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के चित्र तथा रिपोर्ट	*
भाग II—भाग 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	333
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	407
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	465
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	71
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी शब्दों के जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपरक	—

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	461
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	565
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	65
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	561
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authoritity (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	409
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	453
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	521
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	71
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(एस सी टी सी शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 मई, 1989

सं० 3/1/एस सी टी सी/89—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में कार्य करने के लिए सदस्य के रूप में 1 मई, 1989 को प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल तक के लिए नियुक्त किया गया है।

सदस्य-लोक सभा

1. श्री चरनजीत सिंह अठवाल
2. श्री जी० भूपति
3. श्री दिलीप सिंह भूरिया
4. श्री बीरबल
5. श्री सुदर्शन दास
6. श्री गंगा राम
7. श्री माणिक राव हो डल्य गावित
8. श्री एस० एम० गुरड्डी
9. श्री सेत हेमब्रम
10. श्री हेत राम
11. श्री कुंवर राम
12. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
13. श्री लक्ष्मण मलिक
14. श्री अरविन्द नेताम
15. डा० पी० वल्लल पेरूमन
16. श्री के० एन० प्रधान
17. श्री के० प्रधानी
18. चौधरी राम प्रकाश
19. श्री राम सिंह
20. श्री राम प्यारे सुमन

सदस्य-राज्य सभा

21. डा० फागुनी राम
22. श्री आनन्द प्रकाश गौतम
23. श्री कलाशपनि
24. श्री पी० के० कुंजाचेन
25. श्री धूलेश्वर मीणा
26. श्री चतुरानन मिश्र
27. श्री जी० स्वामी नायक
28. श्री एन० राजंगम
29. श्री वी० रामानाथन
30. श्री जर्ली ई० तेरियांग

2. अध्यक्ष महोदय ने श्री अरविन्द नेताम, संसद सदस्य को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

(पी० यू० ब्रांच)

सं० 4/1-पी० यू०/89—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 1 मई, 1989 से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधिवत् चुने गए हैं :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री के० पी० सिंह देव
2. श्री जी० एस० घोलप
3. श्री दिनेश गोस्वामी
4. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
5. श्रीमती शीला कौल
6. श्री मोहम्मद महफूज अली खां
7. श्री केशव राव पारधी
8. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
9. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
10. श्री के० एच० रंगनाथ
11. श्री हरीश रावत
12. श्री बैजवाडा पपी रेड्डी
13. श्री अजित कुमार साहा
14. श्री लाल विजय प्रताप सिंह
15. श्री एस० डी० सिंह

राज्य सभा के सदस्य

16. श्री टी० आर० बालू
17. श्री दीपेन घोष

18. श्री ए० जी० कुलकर्णी
19. श्री कमल मोरारका
20. श्री वी० नारायण स्वामी
21. ठाकुर जगतपाल सिंह
22. श्री रऊफ वलीउल्लाह

अध्यक्ष महोदय ने श्री वक्कम पुरुषोत्तमन को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

आर० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1989

सं० 14/14/82-ईपीजेड—भारत सरकार ने विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन प्राधिकरण (वेप्जा) के नाम से एक उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठित करने का निर्णय किया है। वेप्जा, विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन को तेजी से बनाने, वृद्धि तथा विकास करने के लिए सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर कार्य करेगा।

2. वेप्जा जिसे इसके बाद से प्राधिकरण कहा जाएगा के विचारार्थ विषय अधिकार और कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्राधिकरण के कार्य निर्यात, रोजगार तथा औद्योगिकी/प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा।

(ii) प्राधिकरण जोन के लिए स्वीकृत कार्यकलापों के स्वरूप से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लेगा।

(iii) यह मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो क्षेत्र के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं के सृजन, अनुरक्षण और विकास सम्बन्धी योजना बनाने के लिए निर्देश जारी करेगा।

(iv) यह जोन के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगा तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी नीतिगत निर्णय लेगा। प्राधिकरण 6 महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(v) प्राधिकरण किसी भी समिति या समितियों का गठन कर सकता है और अपनी समिति अथवा समितियों में अपने कार्यों का निर्वाह करते हुए स्वविवेकानुसार किसी भी सदस्य को सहयोजित कर सकता है।

(vi) प्राधिकरण परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों तथा विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन के कार्य की समीक्षा करेगा तथा ऐसे निर्देश दे सकता है जो जोन में सुचारु रूप से कार्य करने और उसके विकास के लिए उपयुक्त समझे।

(vii) प्राधिकरण जोन के विकास में तेजी लाने के लिए उपयुक्त उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित रियायतों पर निणय लेगा। प्राधिकरण विश्व में अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध रियायतों को ध्यान में रखेगा तथा विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन के लिए तुलनात्मक सुविधायें प्रदान करेगा। आयात तथा निर्यात के लिए सामान्य नीति के स्वरूप के अन्तर्गत यह स्वयं द्वारा निर्धारित शर्तों पर घरेलू टेरिफ क्षेत्र में परिष्कृत उपायों के निर्धारित मात्रा में बिक्री के लिए अधिकृत करेगा।

(viii) प्राधिकरण वेप्जा के सम्बन्ध में ऐसे सभी नीतिगत मुद्दों पर निर्णय करेगा जो इसे समय-समय पर विशाखापत्तनम ई० पी० जेड० बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ix) प्राधिकरण विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी नीतिगत विषयों तथा भारत सरकार के अन्य विषयों या आन्ध्र प्रदेश सरकार के उन मुद्दों जिन्हें यह आवश्यक समझे, सिफारिशें करेगा।

3. प्राधिकरण का संघटन निम्न प्रकार होगा :—

1. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
4. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
5. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
6. सचिव, भूतल परिवहन विभाग	सदस्य
7. सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग	सदस्य
8. सचिव, इलैक्ट्रानिकी विभाग	सदस्य
9. सदस्य (यातायात) रेलवे बोर्ड	सदस्य
10. अध्यक्ष, पी एण्ड टी बोर्ड	सदस्य
11. अपर सचिव, प्रभारी ई० पी० जेड०, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
12. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
13. सी० सी० आई० एण्ड ई०	सदस्य
14. अध्यक्ष, सी० बी० ई० सी०	सदस्य
15. अध्यक्ष, आई० डी० बी० आई०	सदस्य
16. डिप्टी गवर्नर, आर० एण्ड आई०	सदस्य

17.	वाणिज्य मंत्रालय के ई०पी० जेड० के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
18.	डी० सी० विशाखापत्तनम, ई०पी० जेड	सदस्य

4. प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे किसी भी अन्य विभाग/अभिकरण के किसी भी प्रतिनिधि को तदर्थ आधार पर सहयोगिता करने के लिए प्राधिकृत है जिसका सहयोग इसके कार्यचालन के लिए आवश्यक समझा जाए। वह आवश्यकता पड़ने पर उप-समितियां भी नियुक्त कर सकता है।

सं० 14/14/82-ई० पी० जेड०—भारत सरकार ने विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन नामक एक अन्तर-मंत्रालय निकाय गठित करने का निर्णय किया है। इसका कार्य विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय लेना होगा तथा उक्त जोन से सभी अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लेना होगा।

2. विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन, बोर्ड जिसे इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा के विचारार्थ विषय, अधिकार और कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) बोर्ड निर्यात के लिए जोन के अन्तर्गत किसी विनिर्माण, सज्जीकरण की सेवा प्रचालन हेतु अनुमोदन देने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार करेगा तथा अपने विवेकानुसार अनुमोदन दे सकता है या इन्कार कर सकता है।

(2) बोर्ड जैसा आवश्यक समझे अनुमोदन के लिए कोई शर्त रख सकता है।

(3) बोर्ड अपने विवेकानुसार अनुमोदन को रद्द कर सकता है या स्थगित कर सकता है, यदि

(क) इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अनुमोदन के लिए रखी गयी शर्त का उल्लंघन हुआ है,

(ख) यह विश्वास हो जाता है कि अनुमोदन पर आधारित उद्यम के चलते रहने से जोन, राज्य या देश के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) जोन में स्थित उद्यम को लागू किसी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषी पाया गया हो।

अनुमोदन को स्थगित करने या रद्द करने से पहले, बोर्ड जोन में स्थित इस उद्यम को पूरा मौका देगा, जिसका अनुमोदन स्थगित करने या रद्द करने का प्रस्ताव है, कि वह ऐसी कार्रवाई कारण प्रस्तुत कर सके।

(4) बोर्ड छोटे और मध्यम पैमाने के सेक्टर के लिए मामलों सहित वेपुंज में उद्योग स्थापित करने हेतु सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय लेगा। केवल उन मामलों में जहां औद्योगिक लाइसेंस, उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने हैं, उन्हें उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, बोर्ड समय-समय पर आई० डी० आर० अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुमोदन पत्र तथा आशा पत्र जारी करेगा।

(5) बोर्ड जोन के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए सभी आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेगा जिस में कोई मैट्रिक सीमा नहीं होगी।

(6) बोर्ड किए गए आवेदनपत्रों के विदेशी सहयोग की शर्तों पर निर्णय लेगा।

(7) बोर्ड समय-समय पर जोन में स्थित एककों के रद्दी, स्क्रेप, बाई प्रोडक्ट्स तथा किसी कम स्तर के सामान की उचित प्रतिशतता पर निर्णय लेगा जिसका निपटान उनके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में या बोर्ड द्वारा निर्धारित जोन के भीतर किया जाएगा।

3 बोर्ड का संघटन निम्नलिखित होगा :—

(1)	अपर सचिव (ईपीजेड) वाणिज्य मंत्रालय	अध्यक्ष
(2)	सदस्य (सीमा शुल्क) सीबीईसी, वित्त मंत्रालय	सदस्य
(3)	संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
(4)	संयुक्त सचिव (एसआईए) औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
(5)	सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
(6)	औद्योगिक सलाहकार	सदस्य
(7)	डी० सी० एस० एस० आई०	सदस्य
(8)	निर्यात आयुक्त, सीसीआई एण्ड ई का कार्यालय	सदस्य
(9)	आईडीसीआई का प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	वाणिज्य मंत्रालय में ईपीजेड का प्रभारी अधिकारी	सदस्य
(11)	सचिव, भारतीय विनिर्माण केन्द्र (आई० आई० सी०)	सदस्य
(12)	ए० पी० पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
(13)	विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम ईपीजेड	सदस्य-सचिव

4. बोर्ड का अध्ययन ऐसे किसी भी अन्य विभाग/अभिकरण के किसी भी प्रतिनिधि को सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत है जिसका सहयोग इसके लिए आवश्यक समझा जाए। वह आवश्यकता पड़ने पर उप-समितियां भी नियुक्त कर सकता है।

सी० बी० कुकरैती, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1989

संकल्प

सं० ई० 11017/11/88–रा० भा० कार्यान्वयन––स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के विषय में इस मंत्रालय के 20 फरवरी 1989 के संकल्प सं० ई० 11017/11/88–रा० भा० कार्या० में क्रम संख्या 16, 17 और 18 पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाए :–

16. डा० जगन्नाथ शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेकोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली–सदस्य

17. श्री रेवती सरन शर्मा, सी–18, आमद निकेतन नई दिल्ली–सदस्य

18. डा० मुनीश्वर 7–आग फरजाना, आगरा–2, उत्तर प्रदेश ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० के० मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1989

सं० एफ० 9-18/85–यू–3 ––विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह पर एतद्द द्वारा यह घोषणा करती है कि जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062 पूर्वोक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक समझा जाने वाला विश्वविद्यालय होगा ।

जे० डी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 11 मई 1989

संकल्प

सं० फा० 16-3/89-पुस्त०––दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, दिल्ली के (समय-समय पर यथा संशोधित) संघ-ज्ञापन के अनुच्छेद 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, एतद्द्वारा 3 अप्रैल, 1989 को स्थिति के अनुसार दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, इसके अध्यक्ष और सभी सदस्यों को अगले आदेशों तक अपने सामान्य कार्य करते रहने का निदेश देती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उस संकल्प की एक प्रति को जन-सामान्य की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय

(प्रेम डिवीजन)

(अनुसंधान यूनिट)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 27 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० 1-87/88-(आर०) प्रेम––दिनांक 8 मई, 1986 की सरकारी अधिसूचना संख्या 1-56/85(आर०) पी० आर० ई० एम० के० अधिक्रमण में समाज कल्याण अनुसंधान संबंधी सलाहकार समिति का एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन के लिए पुनर्गठन किया गया है :–

(क) कल्याण मंत्रालय को

(1) पदोन्नति, समन्वय और समाज कल्याण, समाज नीति और समाज विकास के संबंध में अनुसंधान के उपयोग संबंध में

(2) अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्रों के संबंध में

(3) समाज कल्याण क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने संबंधी अन्य किसी मामलों के संबंध में, और

(ख) वित्तीय सहायता के लिए कल्याण मंत्रालय को भेजे गए अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के संबंध में सलाह देने के लिए ।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

1. सचिव (कल्याण) अध्यक्ष (पदेन)
कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

2. प्रोफेसर आर० के० हेब्सर — सदस्य
अनुसंधान तथा पद्धतिशास्त्र विभाग,
टाटा समाज विज्ञान संस्थान,
पो० बा० नं० 8313 सीओन ट्राम्बे रोड,
देवनार, बम्बई ।

3. डा० एस० डी० गोखले, — सदस्य
अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग अनुसंधान तथा
विकास केन्द्र 175, दादा भाई नौरोजी
रोड, बंबई ।

4. प्रोफसर टी० के० ओमेन, — सदस्य
सामाजिक पद्धति अध्ययन के लिए केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली ।

5. प्रोफसर एम० जेड० खान, — सदस्य
अध्यक्ष समाज विज्ञान संकाय,
जाबिया मिलिया इस्लामिया,
जामियानगर, नई दिल्ली ।

6. प्रोफेसर आर० आर० सिंह, — सदस्य
अध्यक्ष, समाज कार्य विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

7. प्रोफेसर मिर्जा आर० अहमद, — सदस्य
अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

8. डा० डी० के० लालदास, — सदस्य
प्रधानाचार्य, समाज कार्य कालेज,
रेड हिल्स, हैदराबाद (आ० प्र०)

9. डा० आई० ए० शरीफ, — सदस्य
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
मनश्चिकित्सकीय समाज कार्य विभाग, राष्ट्रीय
मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान
संस्थान, पी० बी० 2979, बंगलोर ।

10. प्रो० एम० एन० करना, — सदस्य
समाज शास्त्र विभाग,
नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय,
शिलांग ।

11. प्रो० ए० बी० सरन, — सदस्य
मानवशास्त्र/के अग्रिम अध्ययन के लिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, रांची
विश्वविद्यालय, रांची ।

12. प्रोफेसर डी० बी० पी० राजा, — सदस्य
निदेशक, मुदुराई समाज कार्य संस्थान
विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन,
अलगर कोइल रोड, मदुराई ।

13. डा० के० चोकालिंगम् — सदस्य
अध्यक्ष, अपराध शास्त्र विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।

14. संयुक्त सचिव (एस० डी०), — सदस्य पदेन
शास्त्री भवन, कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।

15. संयुक्त सचिव (एच० डब्ल्यू०) — ,,
शास्त्री भवन, कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

16. संयुक्त सलाहकार (समाज कल्याण) — ,,
योजना आयोग, नई दिल्ली ।

17. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, — ,,
नई दिल्ली ।

18. निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल — ,,
विकास संस्थान, नई दिल्ली ।

19. निदेशक (सामान्य) — ,,
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली ।

20. निदेशक (सामान्य) — ,,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
नई दिल्ली ।

21. भारत के महापंजीकार, — ,,
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

22. कार्यकारी निदेशक — ,,
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।

23. संयुक्त निदेशक (आर०) — सदस्य सचिव
कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली । (पदेन)

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1991 तक होगा । सरकार इस अवधि में वृद्धि अथवा कमी कर सकती है ।

4. समिति की सदस्यता के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । परन्तु सरकारी सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे इस संबंध में की गई यात्रा के लिए अपने अपने कार्यालयों से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ले सकेंगे । समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा के लिए भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीमती ओणा दास, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

(SCTC BRANCH)

New Delhi-110001, the 9th May 1989

No. 3/1/SCTC/89.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May,1989 :—

MEMBERS—LOK SABHA

1. Shri Charanjit Singh Athwal.
2. Shri G. Bhoopathy.
3. Shri Dilcep Singh Bhuria.
4. Shri Bir Bal.
5. Shri Sudarshan Das.
6. Shri Ganga Ram.
7. Shri Manikrao Hodlya Gavit.
8. Shri S. M. Guraddi.
9. Shri Seth Hembrom.
10. Shri Het Ram.
11. Shri Kunwar Ram.
12. Shri Purna Chandra Malik.
13. Shri Lakshman Mallick.
14. Shri Arvind Netam.
15. Dr. P. Vallal Peruman.
16. Shri K. N. Pradhan.
17. Shri K. Pradhani.
18. Chaudhary Ram Parkash.
19. Shri Ram Singh.
20. Shri R. P. Suman.

MEMBERS—RAJYA SABHA

21. Dr. Faguni Ram.
22. Shri Anand Prakash Gautam.
23. Shrimati Kailashpati.
24. Shri P. K. Kunjachen.
25. Shri Dhuleshwar Meena.
26. Shri Chaturanan Mishra.
27. Shri G. Swamy Naik.
28. Shri N. Rajangam.
29. Shri V. Ramanathan.
30. Shri Jerlie E. Tariang.

2. The Speaker is pleased to appoint Shri Arvind Netam, M.P. as the Chairman of the Committee.

(P.U. BRANCH)

No. 4/1-PU/89.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on 1 May, 1989 :—

MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri K. P. Singh Deo.
2. Shri S. G. Gholap.
3. Shri Dinesh Goswami.
4. Shri Virdhi Chander Jain.
5. Shrimati Sheila Kaul.
6. Shri Mohd. Mahfooz Ali Khan.
7. Shri Keshorao Pardhi.
8. Shri Vakkom Purushothaman.
9. Shri Balwant Singh Ramoowalia.
10. Shri K. H. Ranganath.
11. Shri Harish Rawat.
12. Shri Bezawada Papi Reddy.
13. Shri Ajit Kumar Saha.
14. Shri Lal Vijay Pratap Singh.
15. Shri S. D. Singh.

MEMBERS OF RAJYA SABHA

16. Shri T. R. Balu.
17. Shri Dipen Ghosh.
18. Shri A. G. Kulkarni.
19. Shri Kamal Morarka.
20. Shri V. Narayanasamy.
21. Thakur Jagatpal Singh.
22. Shri Raoof Valiullah.

The Speaker has been pleased to appoint Shri Vakkom Purushothaman as Chairman of the Committee.

R. D. SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd May 1989

No. 14/14/82-EPZ.—The Government of India have decided to constitute a high level authority to be called Visakhapatnam Export Processing Zone Authority (VEPZA). The VEPZA will deal with all major policy issues for speedy creation, growth and development of Visakhapatnam Export Processing Zone.

2. The terms of reference and powers and functions of VEPZA, hereinafter called the Authority will be as under :—

(i) It shall be the function of the Authority to promote investments in the zone for purpose of export, employment and improvement of industrial technology.

(ii) The Authority shall decide on matters regarding nature of activities to be allowed for the zone.

(iii) It shall provide guidelines and if necessary issue directives for planning for the construction, maintenance and development of the various utilities required for the zone.

(iv) It shall periodically review the performance of the zone and take all policy decisions relating to the zone. The Authority shall meet atleast once in six months.

(v) The Authority may constitute any committee or committees and may co-opt any member to its committee or committees in its discretion for discharging its functions.

(vi) The Authority may review from time to time steps taken to implement the project and working of the Visakhapatnam Export Processing Zone and may give such directions as it may deem fit for the smooth functioning and proper growth of the Zone.

(vii) The Authority will take decisions on fiscal and other concessions required to attract the right type of entrepreneurs to the Zone for quickening its pace of development. The Authority will keep in view concessions available in other successful Free Trade Zones in the world and strive to give comparative facilities for Visakhapatnam Export Processing Zone. It shall, within the framework of the General Policy for Imports and Exports, authorise the sale of a prescribed proportion of finished products in the domestic tariff area, on such terms and conditions as may be specified by it.

(viii) The Authority will decide upon all policy issues regarding VEPZ which will be referred to it by the Visakhapatnam EPZ Board from time to time.

(ix) The Authority will make recommendations on policy matters and all other matters to the Government of India or to the Govt. of Andhra Pradesh on all issues it considers essential in order to ensure rapid development of Visakhapatnam Export Processing Zone.

3. The composition of the Authority will be as under :—

Chairman

(1) Secretary,
Ministry of Commerce.

Members

(2) Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh.
(3) Secretary, Deptt. of Economic Affairs, Min. of Finance.
(4) Secretary, Deptt. of Expenditure, Min. of Finance.
(5) Secretary, Deptt. of Industrial Development, Min. of Industry.
(6) Secretary, Deptt. of Surface Transport.
(7) Secretary, Deptt. of Civil Aviation.
(8) Secretary, Deptt. of Electronics.
(9) Member (Transportation), Railway Board.
(10) Chairman P&T Board.
(11) Additional Secretary In-Charge of EPZ, Min. of Commerce.
(12) AS&FA, Min. of Commerce.
(13) CCI&E
(14) Chairman, CBEC
(15) Chairman IDBI.
(16) Deputy Governor, RBI.
(17) Officer-in-Charge of FPZ in Ministry of Commerce.

Member-Secretary

(18) DC, Visakhapatnam EPZ.

4. The Chairman of the Authority is authorised to coopt on ad hoc basis any representative of any other Department/agency whose association is considered essential to its working and to appoint Sub-Committees as and when required.

No. 14/14/82-FPZ.—The Government of India have decided to constitute an Inter-Ministrial body to be called Visakhapatnam Export Processing Zone Board to take decisions on all applications for setting up industries in the Visakhapatnam Export Processing Zone and take decisions on all other issues pertaining to the said Zone.

2. The terms of reference and powers and functions of Visakhapatnam Export Processing Zone Board, hereinafter called the Board, will be as under—

(1) The Board shall consider applications for grant of an approval for carrying on within the zone any manufacture, assembly or service operation for export and may in its discretion grant or refuse to grant the approval.

(2) The Board may attach to an approval any condition as it may consider necessary.

(3) The Board may in its discretion revoke or suspend an approval if :—

(a) It is satisfied that there has been a breach of a condition attached to the approval;

(b) it is convinced that the continuance of the enterprise based upon the approval would be prejudicial to the overall development of the Zone, the state or the country;

(c) the zone enterprise is convicted of an offence under the provisions of any Act in force

Before suspending or revoking an approval the Bord shall give a reasonable opportunity to the zone enterprise whose approval is proposed to be suspended or revoked, of being heard and showing cause against such action.

(4) The Board shall take decisions on all applications for setting up industries in VEPZ, including cases for the small scale and medium scale sector. Only those cases where Industrial Licence has to be issued by Ministry of Industries, will be referred to the Industries Ministry for issuing industrial licence. In such cases, the Board will issue Letter of Intent only. In all the other cases, the Board will issue Letter of Approval and Letters of Intent subject to the powers delegated under the IDR Act, 1951 from time to time.

(5) The Board will take decision on all applications for import of capital goods into the zone and without any monetary limit.

(6) The Board will take decisions on the terms and conditions of foreign collaboration of applications made.

(7) The Board shall take decisions from time to time on the permissible percentage of waste, scrap, by-products any sub-standard goods of zone units which may be disposed off by them in the Domestic Tariff Area or within the zone in the manner prescribed by the Board.

3. The composition of the Board will be as under :—

Chairman

(1) Additional Secretary (EPZ), Ministry of Commerce.

Members

(2) Member (Customs), CBEC, Ministry of Finance.
(3) Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Min. of Finance
(4) Joint Secretary (SIA), Department of Industrial Development.
(5) Secretary, Commerce & Industries Deptt., Government of A.P.
(6) Industrial Adviser, DGTD.
(7) DC, SSI.
(8) Export Commissioner, O/o CCI&E
(9) Representative of IDBI.
(10) Officer in-Charge of EPZ in Ministry of Commerce.
(11) Secretary, India Investment Centre (IIC).
(12) Representative of A.P. Pollution Control Board.

Member-Secretary

(13) Development Commissioner, Visakhapatnam EPZ.

4. The Chairman of the Board is authorised to coopt any representative of any other Department/Agency whose association with the Board is considered essential and to appoint Sub-Committees as and when required.

C. B. KUKRETI, Directo

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 9th May 1989

RESOLUTION

No. E.11017/11/88-OLI.—In this Ministry's Resolution No. E. 11017/11/88-OLI dated the 20-2-1989 regarding reconstitution of Hindi advisory Committee for the Ministry of Health & Family Welfare at serial Nos. 16, 17, & 18, the following entries may be inserted :

Members

16. Dr. Jagannath Sharma, Associate Professor of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

17. Shri Reoti Saran Sharma C-18, Anand Niketan, New Delhi-21

18. Dr. Munishwar, 7-Bag Farzana, Agra-2 (U.P.).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments & Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. MEHROTRA, Jt Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 10th May 1989

No. F.9-18/85-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the Commission, hereby declare that Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi-110062, shall be deemed to be a University for the purpose of the aforesaid Act.

I. D. GUPTA, Jt Secy.

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 11th May 1989

RESOLUTION

No. F.-16-3/89. Lib.—In exercise of the power conferred by Article 5 of the Memorandum of Association of the Delhi Library Board, Delhi (as amended from time to time), the Government of India in the Department of Culture, Ministry of Human Resource Development hereby directs the Delhi Library Board, its Chairman and all other members as in position on the 3rd of April, 1989, to continue to carry on the normal functions of the Board till further direction.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. TRIPATHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF WELFARE

PREM DIVISION

(RESEARCH UNIT)

New Delhi-110 066, the 27th April 1989

RESOLUTION

F. No. I-87/88(R)PREM.—In supersession of Government notification No. 1-56/85 (R) PREM dated 8th May 1986, the Advisory Committee on Social Welfare Research is hereby reconstituted :—

(a) to advise the Ministry of Welfare :—

(i) on promotion, coordination and utilisation of research in social welfare, social policy and social development;

(ii) on areas of research and study;

(iii) on any other matter relating to the promotion of research in the social welfare sector; and

(b) to consider and approve research proposals submitted to Ministry of Welfare for financial support.

2. The Committee will have the following members :—

Chairman
(Ex-officio)

1. Secretary to the Government of India,
Ministry of Welfare
Shastri Bhavan, New Delhi.

Members

2. Prof. R. K. Hebsur,
Deptt. of Research Methodology,
Tata Instt. of Social Sciences
P. B. No. 8313, Sion-Trombay Road
Deonar; Bombay.

3. Dr. S. D. Gokhale,
Chairman-International Division,
Centre for Research and Development
175, Dadabai Naoroji Road
Bombay.

4. Prof. T. K. Oommen,
Centre for the Study of Social Systems
Jawaharlal Nehru University
New Delhi.

5. Prof. M. Z. Khan,
Dean
Faculty of Social Sciences
Jamia Millia Islamia
Jamia Nagar, New Delhi.

6. Prof. R. R. Singh,
Head
Department of Social Work
Delhi University, Delhi.

7. Prof. Mirza R. Ahmad,
Head
Department of Social Work
Lucknow University, Lucknow.

8. Dr. D. K. Lal Das,
Principal
College of Social Work
Red Hills, Hyderabad-A.P.

9. Dr. I. A. Shariff,
Prof. & Head
Deptt. of Psychiatric Social Work
National Instt. of Mental Health
and Neuro Sciences,
P.B. 2979, Bangalore.

10. Prof. M. N. Karna,
Department of Sociology
North-Eastern Hill University
Shillong, Meghalaya.

11. Prof. A. B. Saran,
Director
UGC Centre for Advanced Study
in Anthropology
Ranchi University, Ranchi.

12. Prof. D. V. P. Raja,
Director
Madurai Instt. of Social Work
University Library Building
Alagarkoil Road, Madurai.

13. Dr. K. Chokalingam,
Head
Department of Criminology
Madras University, Madras.

Member (Ex-officio)

14. Joint Secretary (SD),
Ministry of Welfare, Shastri Bhavan
New Delhi.

Member (Ex-officio)

15. Joint Secretary (HW),
Ministry of Welfare, Shastri Bhavan
New Delhi.

Member (Ex-officio)

16. Joint Adviser (Social Welfare),
Planning Commission, New Delhi.

Member (Ex-officio)

17. Director,
National Instt. of Social Defence
New Delhi.

Member (Ex-officio)

18. Director,
National Instt. of Pulic Co-operation & Child Development
New Delhi.

Member (Ex-officio)

19. Director General,
Indian Council of Medical Research
New Delhi

Member (Ex-officio)

20. Director General,
Central Statistical Organisation
New Delhi.

Member (Ex-officio)

21. Registrar General of India,
Ministry of Home Affairs
New Delhi

Member (Ex-officio)

22. Executive Director,
Central Social Welfare Board
New Delhi.

Member-Secretary

(Ex-officio)

23. Joint Director (R),
Ministry of Welfare
New Delhi.

3. The tenure of the members of the Committee will be upto 31st December 1991. Government may extend or curtial this period

4. No remuneration will be paid for membership of the Committee. The official members will, however, be entitled to draw TA/DA etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment in accordance with the rules applicable to them from their respective offices. The non-official members of the Committee will be entitled to TA/DA for their journeys to attend meetings as admissible to First Grade Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

MRS. ASHA DAS, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989